-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप 03 अलग-अलग मामलों में 07 अभियुक्तों को 14000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप **03 अलग-अलग मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को कुल 14000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 228/16 धारा 325/504 भादवि के अभियुक्तगण 1. राजा पुत्र रामजियावन 2. राजू सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 3. सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 शिवनाथ निवासीगण ग्राम पिण्डखर थाना अतर्रा जनपद बांदा को **कुल 9000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना मरका में पंजीकृत अभियोग 38/15 धारा 448/427 भादवि के अभियुक्त दिलाप तिवारी पुत्र राजकुमार निवासी थाना मरका जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 146/07 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. पप्पू पुत्र रामभवन 2. मुन्ना पुत्र रामभवन 3. बच्चा पुत्र रामभवन निवासीगण ग्राम देवरथा थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।